

2016/195

उत्तरांचल - बी.पी.टी. सी.टी.डी.डी.

क्रमांक

आज्ञा पत्र

21-3-24

पत्रावली दिनांक 20-3-24 को नियत थी। इस दिनांक को राजकीय अवकाश होने से पत्रावली आज पेशी में आई। पत्रावली पूर्व आज्ञा अनुसार दिनांक 5-6-24 को पेश हो।

5-6-24

पत्रावली पेश है। विद्यार्थन न्यायालय का रिजर्व दिनांक वाहक से तलब किया जाये। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते नली रिजर्व दिनांक 15-7-24 को पेश हों। *dy*

15-7-24

पत्रावली पेश है। विद्यार्थन न्यायालय का रिजर्व दिनांक वाहक से तलब किया जाये। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते नली रिजर्व दिनांक 5-9-24 को पेश हों। *dy*

5-9-24

पत्रावली पेश है। विद्यार्थन न्यायालय का रिजर्व दिनांक वाहक से तलब किया जाये। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते नली रिजर्व दिनांक 19-11-24 को पेश हों। *dy*

19-11-24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल तक बार बार दिलाई गई। इतना ही किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पेशी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल सुधार होकर नम्बर से कम होकर बाद त्रतीव तकमील दाखिल दफतर हो। *dy*

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर